प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 20.06.2026

➢ **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने व घटना में सहयोग करने वाली वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया सादर अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 19.06.2026 को थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात पर वादिनी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि वादिनी की नातिन उम्र करीब 12 वर्ष को मेरे पड़ोस में रहने वाली गायत्री और उसके देवर नवनीत द्वारा किसी बहाने से अपने घर बुलाकर कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाना, उसके पश्चात नवनीत द्वारा गलत काम करने की नियत से वादिनी की नातिन के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-167/2026 धारा 74/123 बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. गायत्री पत्नी गुड्डू, 2. नवनीत पुत्र महादेव निवासी ग्राम खानपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित नामित अभियुक्त नवनीत पुत्र महादेव संखवार निवासी ग्राम खानपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात को झींझक स्टेशन के पास से एवं अभियुक्ता गायत्री पत्नी गुड्डू निवासिनी ग्राम खानपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को महोई टैम्पो स्टैण्ड के पास थाना क्षेत्र मंगलपुर से आज दिनांक 20.06.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. नवनीत उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र महादेव संखवार निवासी ग्राम खानपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात।
2. गायत्री उम्र करीब 26 वर्ष पत्नी गुड्डू संखवार निवासिनी खानपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ अभियुक्तगण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त नवनीत पुत्र महादेव एवं अभियुक्ता गायत्री पत्नी गुड्डू ने बताया गया कि उनके मध्य अवैध शारीरिक सम्बन्ध थे। गायत्री के गर्भवती होने के कारण शरीरिक सम्बन्ध नही बना पा रहे थे, दोनों ने वादिनी की नातिन को बहाने से घर बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी तथा स्वयं भी शराब का सेवन किया। इसके उपरान्त गायत्री वादिनी की नातिन को कमरे में ले गई और नवनीत को उसके पास भेज दिया। नवनीत द्वारा वादिनी की नातिन को पकड़ने पर वादिनी की नातिन द्वारा शोर मचाने पर उसकी मामी मौके पर आ गयी और अपनी भांजी को लेकर अपने घर चली गयी थी। दोनों अभियुक्तों ने घटना के समय शराब के नशे में होने की बात स्वीकार की गयी है।

अभियुक्त नवनीत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 167/2026 धारा 74/123 बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
मु0अ0सं0 806/2020 धारा 323/498ए/504/506 भादवि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्ता गायत्री उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 74/123 बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री मिलन सिरोही
रि0का0 1198 मो0 आलम
रि0म0का0 1402 निधि
रि0का0 1088 रमन यादव